रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2008/श्रावण 8, 1930

No. 1067] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(वन्यजीव प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

का.आ. 1875(अ).—केन्द्रीय सरकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 55 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक के पद से नीचे के न हों, को उक्त अधिनियम के तहत उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंदर दंडनीय अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए इस शर्त पर प्राधिकृत करती है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकती है अथवा उक्त धारा के अंतर्गत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है यदि उनके विचार में जनहित में ऐसी कार्रवाई करनी आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Wildlife Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1875(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 55 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Central Government hereby authorises all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, to file complaints with regard to offences punishable under the said Act within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Central Government may revoke such authorisation or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and Addl. Director General of Forests

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

का.आ. 1876(अ).—निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38जेड की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) और धारा 47, 48 के तहत उनमें निहितार्थ शक्ति से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक से नीचे के पद के न हों, को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में इस शर्त पर प्रत्यायोजित करते हैं, कि निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकते हैं अथवा उक्त धाराओं के तहत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यदि उनके विचार से जनहित में ऐसी कोई कार्रवाई आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और अपर वन महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1876(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 38Z of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Director, Wild Life preservation, with the previous approval of the Central Government, hereby delegates the powers vested in him under Sections 47, 48 and sub-section (1) of Section 50 of the said Act to all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Director, Wild Life Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said sections, if in his opnion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and Addl. Director General of Forests

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.